[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Ministry of Corporate Affairs

NOTIFICATION

New Delhi, 20.09.2017

GSR (E)._ In exercise of the powers conferred under proviso to clause (87) of section 2, section 450 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- 1. **Short title and Commencement.** (1) These rules may be called the Companies (Restriction on number of layers) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Restriction on number of layers for certain classes of holding companies.- (1) On and from the date of commencement of these rules, no company, other than a company belonging to a class specified in subrule (2), shall have more than two layers of subsidiaries:

Provided that the provisions of this sub-rule shall not affect a company from acquiring a company incorporated outside India with subsidiaries beyond two layers as per the laws of such country:

Provided further that for computing the number of layers under this rule, one layer which consists of one or more wholly owned subsidiary or subsidiaries shall not be taken into account.

- (2) The provisions of this rule shall not apply to the following classes of companies, namely:-
- (a) a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);
 - (b) a non-banking financial company as defined in clause (f) of Section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) which is registered with the Reserve Bank of India and considered as systematically important non-banking financial company by the Reserve Bank of India;
 - (c) an insurance company being a company which carries on the business of insurance in accordance with provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and the Insurance Regulatory Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
 - (d) a Government company referred to in clause (45) of section 2 of the Act.
- (3) The provisions of this rule shall not be in derogation of the proviso to sub-section (1) of section 186 of the Act.
- (4) Every company, other than a company referred to in sub-rule (2), existing on or before the commencement of these rules, which has number of layers of subsidiaries in excess of the layers specified in sub-rule (1) -
 - (i) shall file, with the Registrar a return in Form CRL-1 disclosing the details specified therein, within a period of one hundred and fifty days from the date of publication of these rules in the Official Gazette;
 - (ii) shall not, after the date of commencement of these rules, have any additional layer of subsidiaries over and above the layers existing on such date; and
 - (iii) shall not, in case one or more layers are reduced by it subsequent to the commencement of these rules, have the number of layers beyond the number of layers it has after such reduction or maximum layers allowed in sub-rule (1), whichever is more.
 - (5) If any company contravenes any provision of these rules the company and every officer of the company who is in default shall be punishable with fine which may extend to ten thousand rupees and where the contravention is a continuing one, with a further fine which may extend to one thousand rupees for every day after the first during which such contravention continues.

Annexure

Form CRL-1

Return regarding number of layers (see clause (i) of sub-rule (4) of Rule 2)

1.	(a) Name of the company:	
	(b) CIN of the company:	
2.	Number of layers of subsidiaries as on the date of commencement of these rules	

3. Layer wise details of subsidiary companies

SN	Name of	CIN of	Name of	CIN of	Per
DIV	subsidiary		holding	holding	centage of
	Subsidiary	company	company	company	shares
		company	company	company	held by
					holding
			-		company
Lover					company
Layer 1					7.5
1	SL1-1				
	SL1-1				
3	SL1-2 SL1-3				
	SL1-3				
Layer	•••••	2			
2					
	SL2-1				
	SL2-2				
• •	SL2-3	-			
Layer					
3					
	SL3-1				
	SL3-2				
	SL3-3				e
.Layer				* N	
4.					
	SL4-1				
	SL4-2				
	SL4-3				

Upto				•••	••••			
last layer								
layer						J		
I (Name of director of the company signing the Form) am authorised by the Board of Directors of the company <i>vide</i> resolution number dated (DD/MM/YYYY) to sign this form and declare that -								
in the	(1) the information of the subsidiaries and the layers as contained in the form is true, correct and complete and no information has been suppressed or concealed.							
Act, 20	(2) I have read the provisions of section 448 and 449 of Companies Act, 2013 which provide for punishment for false statement and punishment for false evidence respectively.							
To be digitally signed by								
Director	Director DSC							
Director Identification Number of the Director								
Date:								
Place:	2							

[F.No. 01/13/2013 CL-V (Vol.III)]

Amardeep Singh Bhatia, Joint Secretary.

भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 🎝 सितंबर, 2017

सा.का.नि.(अ).- केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 2 के खंड (87) के परंतुक, धारा 450 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **नियंत्री कंपनियों के कतिपय वर्गों के लिए स्तरों की संख्या पर निर्बंधन.-** 1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से ही उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट वर्ग की कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की समनुषंगियों के दो से अधिक स्तर नहीं होगे:

परंतु कि इस उपनियम के उपबंध किसी कंपनी को भारत के बाहर निगमित किसी ऐसी कंपनी को, ऐसे देश की विधियों के अनुसार दो स्तरों से अधिक की समनुषंगी हों, अर्जित करने से प्रभावित नहीं करेंगे:

परंतु यह और कि इस नियम के अधीन स्तरों की संख्या की गणना के लिए एक स्तर जो एक या अधिक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी या समनुषंगियों से मिलकर गठित हुआ है, को हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

- (2) इस नियम के उपबंध कंपनियों की निम्नलिखित वर्गों को लागू नहीं होंगे, अर्थात्:-
 - (क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी;
 - (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-झ के खंड (च) में यथापरिभाषित ऐसी गैर-सरकारी वित्तीय कंपनी जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रिजर्म्ट्रीकृत है और जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर- बैंककारी वित्तीय कंपनी माना गया है;

- (ग) कोई बीमा कंपनी जो एक कंपनी होने के कारण बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के उपबंधों के अनुसार में बीमा कारबार कर रही है;
- (घ) अधिनियम की धारा 2 के खंड (45) में निर्दिष्ट कोई सरकारी कंपनी।
- (3) इस नियम के उपबंध इस अधिनियम की धारा 186 की उपधारा (1) के परंतुक के अल्पीकरण में नहीं होंगे।
- (4) उप नियम (2) में निर्दिष्ट कंपनी के सिवाय प्रत्येक ऐसी कंपनी, जो इन नियमों के नियम प्रारंभ पर या उससे पहले विद्यमान थी, जिसकी अनुषंगियों के स्तरों की संख्या उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट स्तरों से अधिक है -
 - (i) राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से एक सौ पचास दिन की एक अविध के भीतर उसमें विनिर्दिष्ट ब्यौरों को प्रकट करते हुए रजिस्ट्रार को प्ररूप सीआरएल-। में एक विवरण फाइल करेगी;
 - (ii) के पास, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात्, उस तरीख को विद्यमान स्तरों से अधिक अनुषंगियों के अतिरिक्त स्तर नहीं होंगे; और
 - (iii) के पास, इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् उसके द्वारा एक या अधिक स्तर को कम किए जाने के मामले में, इस प्रकार से कम किए गए स्तर या उपनियम (1) में अनुज्ञात अधिकतम स्तरों से, इनमें से जो भी अधिक हों, अधिक स्तर नहीं होंगे।
- (5) यदि कोई कंपनी इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगी तो ऐसी कंपनी और कंपनी का ऐसा प्रत्येक अधिकारी जो व्यतिक्रमी है जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां वह अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उल्लंघन ऐसे पहिले उल्लंघन के पश्चात् जारी रहता है, एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

<u>उपाबंध</u>

प्ररूप सीआरएल-1 स्तरों की संख्या के संबंध में विवरणी [नियम 2 के उप-नियम (4) का खंड (i) देखें]

1.	(क) कंपनी का नाम :	
	(ख) कंपनी का सीआईएन :	
2.	इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को विद्यमान समनुषंगियों के स्तरों की संख्या	

3. समनुषंगी कंपनियों के स्तर-वार ब्यौरे

क्र.सं.	समनुषंगी का	समनुषंगी	नियंत्री	नियंत्री कंपनी	नियंत्री कंपनी द्वारा
	नाम	कंपनी का	कंपनी का	का सीआईएन	धारित शेयरों का
		सीआईएन	नाम		प्रतिशत
स्तर					
1	,				
1	एसएल1-1				
2	एसएल1-2				
3	एसएल1-3				
स्तर					
2					
	एसएल2-1				
	एसएल2-2				
	एसएल2-3				
स्तर					
3					
	एसएल3-1				
	एसएल3-2			9	
	एसएल3-3				
स्तर					
4					
	एसएल4-1				
2	एसएल4-2				
3	एसएल4-3				

	1		
/**		,	
अंतिम	 ••••	 	
स्तर			
स्तर तक			

मैं (प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाले कंपनी के निदेशक का नाम) कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा संकल्प संख्या तारीख (दिन/मास/वर्ष) द्वारा इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूं और घोषणा करता हूं कि -

- (1) समनुषंगियों और स्तरों की सूचना, जैसा कि प्ररूप में अंतर्विष्ट है, सत्य, सही और पूर्ण हैं और इसमें किसी सूचना को दबाया या छिपाया नहीं गया है।
- (2) मैंने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के उपबंधों को पढ लिया है जिसमें क्रमश मिथ्या कथन के लिए दण्ड और मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड का उपबंध किया गया है।

निम्नलिखित द्वारा अंकीय हस्ताक्षर किए जाएं

निदेशक

डीएससी

निदेशक की निदेशक पहचान संख्या

तारीखः

स्थानः

[फा.सं. 01/13/2013-सीएल-V(जिल्द-III)]

(अमरदीप सिंह भाटिया)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार